निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 82/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
शम्भू पुत्र छगन जाति खटीक निवासी ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार सांगानेर, श्री मुकेश मीणा आर टी एस

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 फूलन देवी बनाम शम्भू न्यायालय तहसीलदार सांगानेर से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने बाबत।

निर्णय दिनांक 08.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रकरण संख्या 1/2020 ब उनवानी फूलन देवी बनाम शम्भू में तहसीलदार सांगानेर के द्वारा दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी दी जा रही है और अधिवक्ताओ का तारीख पेशी पर उक्त करोना काल के बढते संक्रमण काल में भी उपस्थित रहने हेतु बाध्य किया जा रहा है। उक्त प्रकरण मे मंगलवार दिनांक 22.09.2020 को अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 23.09.2020 वास्ते बहस अंन्तिम नियत की गई तथा आज दिनांक 24.09.2020 वास्ते निर्णय की गई। उपरोक्त समय में कोरोना संक्रमण लगातार बढ रहा है। माननीय रेवेन्यू बोर्ड एवं श्रीमान कार्यालय द्वारा अतिरिक्त आवश्यक कार्य किये जाने बाबत ही गाईड लाईन जारी की हुई है इसके बावजूद भी तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त काईड लाईन की पालना नही की जा कर अधिवक्ताओं को नियमित रूप से प्रकरण में उपस्थित होने बाबत बाध्य किया जा रहा है। उपरोक्त उल्लेखित प्रकरण में यह लिखना भी समिचिन है कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में हल्का पटवारी गोनेर रवि मीणा को ए सी बी कार्यवाही के तहत रंगे हाथो रिश्वत लेते ट्रेप किया गया है। उक्त तथ्य न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के संज्ञान में होने के बावजूद भी विवादित भूमि से संबंधित उक्त प्रकरण का येनकेन प्रकारेण निस्तारण किये जाने के लिए जल्दबाजी दिखाई जा रही है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सांगानेर से चिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में फूलन देवी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रामजीलाल

चौधरी के शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, किन्तु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र म फूलन देवी आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता आज उपस्थित नहीं है।

3. पत्रावली एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त टिप्पपणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी ने तहसीलदार सांगानेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सख्या 1/2020 व सनवानी फूलन देवी बनाम शम्भू में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर दिनांक 24.09.2020 को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, किन्तु इसमे फूलन देवी का आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि तहसीलदार सांगानेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण फूलन देवी द्वारा ही पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अन्य सभी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाकर दूषित मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रार्थी का प्रकरण के निरतारण में विलम्ब किय जान की मन्शा का जाहिर करता है और न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

6. निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

8/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर